न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव R. A. S.

न. मु. 56/2024

1 आलम खॉ पुत्र भोलू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. नया 28, कायमखानी मौहल्ला दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू आधार न. 6832 9737 2534 प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति

उपस्थित

1 प्रार्थी :– मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 23/01/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही दड़ीबा में खेत खाता नम्बर 182 खसरा नम्बर 183 रकबा 8.8778 हैक्टेयर तथा खाता नम्बर 101 खसरा नम्बर 200 रकबा 0.9232 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा मुझ आलम अली पुत्र भोलू खॉ के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी रेकार्ड में मेरा नाम आलम अली अंकित है मेरा वास्तविक और सही रेकार्डेड नाम आलम खॉ पुत्र भोलू खॉ जाति कायमखानी निवासी दड़ीबा है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन आवेदन, बैंक खाता समस्त में मेरा नाम आलम खॉ दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में नाम आलम अली होने के कारण समस्त प्रकार की दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण मै प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूॅ राजकीय अनुदान प्राप्त करने वास्ते, मेरे खातेदारी खेत पर कृषि ऋण प्राप्त करने वास्ते आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि से मिलान नहीं होने के कारण मै राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूॅ राजस्व रेकार्ड एवं मेरे दस्तावेजों में नाम भिन्न होने के कारण मुझ प्रार्थी को प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना का अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी की पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी वादगत खेत खसरा नम्बर 183, 200 रोही दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर 183, 200 रोही दड़ीबा तहसील बीदसर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही दड़ीबा के खसरा नम्बर 183, 200 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नाम आलम अली के स्थान पर आलम खॉ शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये। अप्रार्थी सख्या 1 को मुताबिक निर्णय व डिक्री की पालना हेतू आदेशित किया जावे।

लगातार....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रकरण में नाम शुद्ध किया जाना उचित माना है।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकार्ड शुद्धि का आदेश दिया जाता है कि रोही दड़ीबा के खसरा नम्बर 183, 200 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश मे नाम आलम अली के स्थान पर आलम खॉ पुत्र भोलू खॉ शुद्ध दर्ज किया जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर